

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी


ई-निविदा सूचना (अति अल्पकालिक निविदा सूचना)

निर्माण कार्य हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर कार्य हेतु द्वि-निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्यूल के अनुसार अति अल्पकालिक निविदा आंगतित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि बेवसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदने की तिथि	18.07.2024 3.00 PM	24.07.2024 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	24.07.2024 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	24.07.2024 3:30 PM	

नोट -

- कार्य से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये गिरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।


मुख्य अभियन्ता



नगर आयुक्त

पत्रांक :- 897/जनकार्य वि०/न०नि०/2024-25

दिनांक :- 17/07/2024

प्रतिलिपि :-

- विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक भास्कर/जनहित दर्शन, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
- सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
- नाजिर/प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम, झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- पी०ए०, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
- आई०टी०एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।


17/07/24


17/07/24


मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

ई-निविदा सूचना (अति अल्पकालिक निविदा सूचना)

निर्माण कार्य हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर कार्य हेतु द्वि-निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्युल के अनुसार अति अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि बेवसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदने की तिथि	18.07.2024 3.00 PM	24.07.2024 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	24.07.2024 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	24.07.2024 3:30 PM	

कार्य का विवरण

क्र०.सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० को छोड़कर)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1	वार्ड नं० 15 गढ़ियागांव में नगर निगम भूमि पर पौधों की रोपड़ एवं नहर किनारे 8000 पौधों का 01 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	646520.00	650.00+18.00% GST	64700.00	पौधारोपण एक माह (एक वर्ष का अनुरक्षण का कार्य)	-
2	वार्ड नं० 15 गढ़ियागांव में गाटा संख्या 2237,2239, 2240,2222,2223,2224,2225,2238 तक नगर निगम भूमि पर 10000 पौधे लगाये जाने का कार्य एवं 10000 पौधों का 01 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	769800.00	770.00+18.00% GST	77000.00	पौधारोपण एक माह (एक वर्ष का अनुरक्षण का कार्य)	-
3	वार्ड नं० 22 बिजौली में एम०आर०एफ० सेन्टर के पास नगर निगम भूमि पर पौधों के रोपड़ एवं 2000 पौधों का 01 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य।	172880.00	175.00+18.00% GST	17300.00	पौधारोपण एक माह (एक वर्ष का अनुरक्षण का कार्य)	-

नोट-

1. निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
2. कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
3. निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेंडर में पंजीकृत होना है।
4. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
5. ई-टेंडरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैनुअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।
6. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
7. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
8. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
9. प्रत्येक निविदादाता रु० 100/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी सूचनाएं सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
12. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेश सं० 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी। (प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
14. जी०एस०टी० के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।

15. कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा हर्जे-खर्चे पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम,झॉंसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
16. शासनादेश सं0 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झॉंसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
17. निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
18. ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
19. ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झॉंसी में निहित होगा।
20. निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
21. किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्ति राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।
22. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानदंड से सम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेवसाइट से लोड किया जा सकता है। <https://etender.up.nic.in>
23. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
24. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
25. शासनादेश सं0 24वी0आईपी0(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
26. 15 प्रतिशत से अधिक बिलो निविदा दर प्राप्त होने पर सम्बन्धित फर्म को कार्य को गुणवत्तापूर्वक करने का जस्टीफिकेशन निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
27. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
28. काम शुरू करने का पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बोली लगाने वाले की श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
29. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे बोली जमा करने के समय बोली क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
30. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
31. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
32. शासनादेश सं0 24वी0आईपी0(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
33. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
34. काम शुरू करने का पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बोली लगाने वाले की श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
35. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे बोली जमा करने के समय बोली क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
36. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
37. कार्य के साथ नोटिस जारी करने के बाद, ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संबन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
38. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं0 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।

39. निविदादाता के पंजीकृत सेल पर बोली लगाने वाले और एस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगे।
40. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
41. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी बोली अपडेट के बोलीकर्ताओं को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोक्ता बोलीकर्ता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए बेवसाइट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
42. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातयात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
43. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।
44. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा।
45. मा10 एन0जी0टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कर्मा सामग्री को ग्रीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदुषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
46. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
47. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
48. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
49. निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वैद्य विद्युत पंजीकरण/ए-श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 897/जनकार्य वि0/न0नि0/2024-25

दिनांक :-17/07/2024

प्रतिलिपि :-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण/जनहित दर्शन,दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम,झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
3. नाजिर/प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम,झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. पी0ए0, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
5. आई0टी0एक्सपर्ट,नगर निगम,झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम,झाँसी।